Mr. Sanjay Sharma

Assistant Professor

Department of Education

(UG and PG)

Subject -Education

Nehru Gram bharati

Deemed to be university.....

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अध्यापक शिक्षा

Teacher Education

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत ऐतिहासिक रूप से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत में अध्यापक शिक्षा उतनी ही प्राचीन है, जितनी की भारतीय शिक्षा। अध्यापक शिक्षा के औपचारिक स्वरूप का प्रचलन बहुत पुराना नहीं है, लेकिन यदि अनौपचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास प्राचीनकाल से ही देखने को मिलता है। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि जिस समाज में शिक्षा का अस्तित्व है वहाँ पर शिक्षा और छात्र का अस्तित्व भी अवश्य होगा। अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म 2500 शताब्दी पूर्व हुआ।

भारत में अध्यापक शिक्षा के विकास को मुख्यत: पाँच भागों में वर्गीकृत किया जाता है

1. प्राचीनकालीन अध्यापक शिक्षा
2. बुद्धकालीन अध्यापक शिक्षा
3. मध्यकालीन अध्यापक शिक्षा
4. ब्रिटिशकालीन अध्यापक शिक्षा
5. स्वतन्त्र भारत में अध्यापक शिक्षा

प्राचीनकालीन अध्यापक शिक्षा

इस काल में हमें शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। भारतीय सभ्यता के प्रारम्भिक काल में शिक्षा व्यवस्था पूर्णत: वेदों से सम्बन्धित होती थी। साथ-ही-साथ शिक्षा पर समाज के उच्च वर्गों का प्रभुत्व था। इस समय केवल वेदों का अध्ययन ही अध्यापन का मूल लक्ष्य होता था। शिक्षा पर उच्च वर्गों का प्रभुत्व जो कार्य को आत्मसात् करने, उसका परिवर्तन करने तथा ज्ञान का परिमार्जन करने से अपने को अलग रखा। जिसके कारण सम्पन्नता के संचारण से अलगाव हो गया।

इस काल में वर्णाश्रम प्रथा प्रचलित थी और वर्ण कर्मणा स्थापित होते थे। यही कारण है कि गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने वालों में से श्रेष्ठ तथा योग्यतम शिष्य को गुरु के द्वारा आगे चलकर शिक्षण कार्य के दायित्व को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ठहराया जाता था। यह अधिकार गुरु-शिष्य के मध्य निर्धारित होता था और शिष्यों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता था।

इस समय शिक्षण की प्रविधियाँ बहुत ही आसान होती थीं। शिष्य को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक को एक-एक शब्दों पर ध्यान देना होता था। यही कारण है कि इस काल में शिष्य एवं गुरु के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ करता था। इस काल में विद्या गुरुमुखी अर्थात् गुरु के मुख से प्राप्ति पर ही निर्भर होना पड़ता था। अर्थात् शिक्षा पद्धति पूर्णत: स्मृति पर निर्भर होती थी। इन क्षमताओं से युक्त शिष्य को ही गुरु पद के लिए योग्य माना जाता था।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

इस काल में जाति प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण शिक्षण कार्य भी एक जाति विशेष का कार्य बन गया। अब यह ब्राह्मण जाति का पैतृक व्यवसाय बन गया। चूँकि प्रतिभा योग्यता आदि का वितरण कभी जाति के आधार पर होना सम्भव नहीं था। अब पूर्व की भाँति शिक्षण व्यवस्था व्याख्याओं एवं पुनर्व्याख्याओं पर बल न होकर उद्देश्य ज्ञान को कण्ठस्थ करना ही रह गया। इस प्रकार शिक्षण एक यान्त्रिक क्रिया बन गई और मौलिकता का ह्रास होने लगा। अत: अन्तर ब्राह्मण काल में गुरुपद पर श्रेष्ठतम व्यक्ति की स्थापना में अनेकों कठिनाइयाँ सामने आने लगी। यह पद्धति लगभग शताब्दियों तक चलती रही।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बुद्धकालीन अध्यापक शिक्षा

बुद्धकाल में अध्यापक प्रशिक्षण के महत्त्व को पहचान लिया गया था। इसी काल में इसका विकास हुआ। लोगों में यह धारणा बनी की शिक्षण का व्यवसाय केवल ब्राह्मणों की धरोहर नहीं है। किसी भी वर्ग जाति या समुदाय का योग्य व्यक्ति प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापक का दर्जा प्राप्त कर सकता था।

यह महत्त्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से धार्मिक शिक्षा के लिए ही शिक्षकीय प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी काल में की गई। नैतिकता और अनुशासनपूर्ण आचरण को अनिवार्य बना दिया गया। इस काल में जातिभेद विहिन समाज की स्थापना को बौद्ध धर्म में अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। इस

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उदारवादी व्यवस्था में ब्राह्मणों के साथ-साथ अन्य वर्गों के लोगों को भी भिक्षु बनने के लिए योग्य माना जाने लगा।

हमें इस काल में कुछ अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था देखने को मिली। यह शिक्षा बुद्ध की धर्म शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दी गई न कि विद्यालयों के शिक्षकों के लिए। ये प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता भिक्षुक थे, जिन्होंने बुद्ध के धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया। तत्पश्चात् वे दो अवस्थाओं को पार करके अध्यापक के लिए योग्य माने जाते थे। इन्हें दो अध्यापकों की देख-रेख में रखा जाता था। इन्हें नैतिकता के आचरण तथा धर्म और अनुशासन का प्रशिक्षण प्राप्त कराते थे। इन्हें ये प्रशिक्षण सैद्धान्तिक के साथ-साथ व्यावहारिक स्तर पर भी दिया जाता था। इन्हें प्रशिक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता के साथ-साथ रहना होता था। निरीक्षणकर्ता सन्तुष्ट होने के बाद ही प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता को अध्यापक का व्यवसाय अपनाने के लिए अनुमति प्राप्त होती थी।

यद्यपि इस बौद्धकालीन अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित प्रणाली का विशेष योगदान विद्यालयीय शिक्षा और सामाजिक जीवन के सन्दर्भ में नहीं था, फिर भी औपचारिक तौर पर इस काल की अध्यापक प्रशिक्षण प्रणाली को एक आधार के रूप में मान्यता दी गई।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मध्यकालीन अध्यापक शिक्षा

1200 ई. से लेकर 1700 ई. की 500 वर्षीय अवधि के इस काल को मूलत: मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के रूप में देखा जाता है और अध्यापकीय शिक्षा की दिशा में इस काल में विशेष प्रगति के प्रमाण नहीं पाए जाते हैं। इस काल में भी अध्यापक का कार्य सम्मान का कार्य ही माना जाता था। अध्यापक जिसे अरबी में *आलिम* कहा जाता है ये जीवनपर्यन्त अध्ययन-अध्यापन का कार्य करते थे। इस काल में अध्यापक का व्यवसाय पैतृक नहीं था।

इस काल के दौरान अध्यापक प्रशिक्षण की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। शैक्षिक संस्थाएँ मदरसे के रूप में होती थी। जिसमें केवल मौलवी ही अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। इस समय शिक्षा प्रमुख रूप से धार्मिक होती थी। इस काल के दौरान औषधि, साहित्य, कला और संगीत व्यवसायों के समान स्थापित किए गए।

इस प्रकार के व्यवसायों की नियमित शिक्षा और प्रशिक्षण की संस्थाएँ नहीं थीं। शैक्षिक संस्थाओं में केवल मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति ही अध्यापक के रूप में कार्य कर सकते थे।

इस काल में यह स्पष्ट है कि औपचारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो अध्यापक शिक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध लगभग नगण्य था। यद्यपि अग्रशिष्य प्रणाली के बारे में मात्र उल्लेख ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। मुगलकालीन शासकों के पतन के साथ ही आधुनिक काल का शुभारम्भ होता है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

ब्रिटिशकालीन अध्यापक शिक्षा

भारत में चली आ रही वर्षों पुरानी शैक्षिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण बदलाव तब आया जब इंग्लैण्ड का आगमन भारत में होता है। भारत की शिक्षा-व्यवस्था इंग्लैण्ड की आवश्यकता के अनुसार बदलती चली गई। इनके द्वारा स्थापित शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और शिक्षक प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था भारत में पहचानी गई। जब ब्रिटिश लोग भारत आए तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय बच्चों को ब्रिटिश व्यवस्था के अनुरूप बनाना था। अध्यापक शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था इंग्लैण्ड द्वारा ही प्रारम्भ की गई।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारत में सर्वप्रथम एक औपचारिक प्रशिक्षण केन्द्र श्रीरामपुर (पश्चिम बंगाल) में डैनिस मिशनरीज के द्वारा स्थापित की गई। ये मिशनरीज व्यक्तिगत संस्थाएँ थीं।

यह द्वितीय चरण का काल था जिसमें 1854 ई. में **वुड के घोषणा-पत्र** के साथ ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा अध्यापकीय प्रशिक्षण की दिशा में सार्थक प्रयास आरम्भ किए गए। वुड की घोषणा के परिणामस्वरूप ही प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए प्रशिक्षणार्थ नॉर्मल स्कूल की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। 1856 ई. में मद्रास प्रशिक्षण स्कूल के प्रशिक्षु अध्यापकों की स्थिति उन अध्यापकों की तुलना में अच्छी पाई गई जो अप्रशिक्षित थे। इसके परिणामस्वरूप ही आगरा, मेरठ, बनारस इत्यादि स्थानों में ऐसे विद्यालयों की स्थापना की गई।

1857 ई. के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रारम्भ हो जाने से महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई और शिक्षण प्रविधियों के सम्बन्ध में विशिष्ट पाठ्यक्रम का अध्यापन आरम्भ किया गया। नॉर्मल स्कूलों में प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाने लगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में प्रशिक्षु आकर्षित होने लगे और 1877 ई. में लाहौर में केन्द्रीय प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई।

भारतीय शिक्षा आयोग या **हण्टर आयोग** 1882 ई. में स्पष्ट किया कि माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल पूरे देश में खोले जाएँ। व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दोनों क्षेत्रों के लिए परीक्षा की व्यवस्था की जाए।

अत: 1886 ई. में सर्वप्रथम माध्यमिक विद्यालय स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मद्रास के सैदपैठ में प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला गया और 1889 ई. में नागपुर ट्रेनिंग स्कूल में माध्यमिक विभाग खोला गया। इस प्रकार 19वीं सदी के अन्त तक देश में छ: प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की गई। पूरे मद्रास प्रेसीडेन्सी में वर्ष 1917 तक मद्रास ट्रेनिंग कॉलेज माध्यमिक स्तरीय अध्यापकीय प्रशिक्षण के लिए एकमात्र केन्द्र बना रहा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

लॉर्ड कर्जन के सुधार कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा मे गुणवत्ता की वृद्धि के लिए कई प्रयास किए गए। कर्जन की अपनी **शिक्षा नीति की संस्तुति** (Resolution on Education Policy, 1904) जिसे भारत सरकार की संस्तुति भी कहते हैं।

इसकी प्रमुख संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं

- स्नातकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक वर्षीय विश्वविद्यालयीय कोर्स के रूप में हो, जो विश्वविद्यालयीय उपाधि की प्राप्ति से सम्बन्धित हो तथा गैर-स्नातकों के लिए प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष के लिए हो।
- प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय के साथ एक अनिवार्य रूप से अभ्यास विद्यालय संलग्न होना चाहिए।
- प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा विद्यालयों के मध्य सम्बन्ध को बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रयास अवश्य ही किए जाएँ।
- किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय में उपकरण कला महाविद्यालय के समान ही अधिक महत्त्वपूर्ण है।

उपरोक्त संस्तुतियों में तत्कालीन प्रशिक्षण व्यवस्था में पर्याप्त महत्त्व किया गया इस प्रयास के बावजूद और भी प्रयास किए गए, लेकिन वर्ष 1929 तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इसके पहले वर्ष 1927 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट पारित किया गया और वर्ष 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में गठित ***हार्टोग समिति*** *ने निम्नलिखित सुझाव दिए*

- प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाया जाए।
- प्राथमिक विद्यालयीय अध्यापकों के सामान्य शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

- प्राथमिक विद्यालयीय अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार करना ताकि उच्च गुणवत्ता के अध्यापकों को आकर्षित किया जा सके।
- शिक्षण संस्थानों के लिए पर्याप्त कर्मियों का प्रबन्ध करना।

समिति के सुझावों के परिणामस्वरूप ही सेवारत प्रशिक्षण के लिए लघु पाठ्यक्रम, सान्ध्यकालीन कक्षाएँ, ग्रीष्मकालीन विद्यालय, पाठ्यक्रम आदि का प्रबन्ध करना प्रारम्भ हुआ। यह व्यवस्था मूलत: मद्रास, यूनाइटेड, प्रोविन्सेस, नॉर्दन प्रोविन्सेस, बम्बई और जालन्धर में की गई। इन सुझावों के कारण स्नातक, पूर्व स्नातक (मिडिल स्तर के लिए) तथा प्राथमिक स्तरीय अध्यापकीय प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग संस्थान खोले गए। वर्ष 1937 में आन्ध्र विश्वविद्यालय में नवीन बीएड पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया और वर्ष 1936 में बम्बई विश्वविद्यालय में एम एड पाठ्यक्रम की शुरूआत की गई।

वर्ष 1944 में शिक्षा सम्बन्धी **सार्जेण्ट समिति** का गठन किया गया, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध का काल (1939-45) तथा भारत छोड़ो आन्दोलन (1942) से सम्बन्धित होने के कारण तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हो सका। फिर भी इन अवरोधों के बाद भी सार्जेण्ट समिति ने *निम्नलिखित सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं*

- इन अध्यापकों को आवश्यकतानुसार शोध कार्य करने के लिए उचित सहायता प्रदान की जाए।
- शिक्षण अभ्यास के पक्ष को अधिक मजबूत बनाया जाए।
- विभिन्न वर्गीय अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध पूर्वोक्त कालावधि को ध्यान में रखते हुए किया जाए।
- हाईस्कूल कक्षा/कोर्स के अन्तिम दो वर्ष के मध्य से अध्यापक कार्य हेतु उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर लिया और उन्हें समय पर शिक्षकीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाए।
- अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे वर्तमान समस्याओं, विधियों तथा नवाचारों से अवगत हो सकें।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner